श्रवण - कितरमल मु.नं. 158/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20/2/25	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी हाजिर। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 27.2.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर
27/2/25	पत्रावली पेश। दीगर न्यायिक कार्य में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 28/2/25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
28/2/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 158 / 2023

1 श्रवण पुत्र काना
2 राजू पुत्र गोपी
3 मदनलाल पुत्र नारायण
4 सांवरमल पुत्र देवाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 छितरमल पुत्र मानाराम
2 हेमाराम पत्र मानाराम
समस्त जाति जाट निवासी कुड़ियों का बास तन सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 गोरूराम पुत्र मुन्नाराम
4 भंवरी देवी पत्नी श्री गोरूराम
5 रतनी देवी पत्नी श्री लच्छाराम
6 भींवाराम पुत्र लच्छाराम
7 गुल्ली पुत्र लच्छाराम
8 राजू देवी पुत्री लच्छाराम
9 मीरा सुप्यार पुत्री लच्छाराम
10 सोहनी पुत्री लच्छाराम
11 सुवा देवी पत्नी गोपी
12 राधा पुत्री गोपी
13 लता पुत्री गोपी
14 सोनी पत्नी नारायण
15 रामचन्द्र पुत्र नारायण
16 बनवारी पुत्र नारायण
17 गिरधारी पुत्र नारायण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 सिणगारी /सुणगारी पत्नी देवाराम
19 प्रभुदयाल पुत्र देवाराम
20 हीरा पुत्र बालू
21 हेमा पुत्र बालू
22 केशर मल पुत्र मोहन
23 छोटूराम पुत्र मोहन
24 पोखरमल पुत्र मोहन
25 मदनलाल पुत्र मोहन
26 संतोष पत्नी सत्यनारायण
27 धीरज पुत्र सत्यनारायण आयु अवयस्क
28 मोनिका पुत्री सत्यनारायण आयु अवयस्क
29 दिव्यांशी पुत्री सत्यनारायण आयु अवयस्क
30 अर्पिता पुत्री सत्यनारायण आयु अवयस्क
31 सोनू पुत्री सत्यनारायण आयु अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका संतोष पुत्री सत्यनारायण
32 प्रेम पुत्री मोहन
33 अणची देवी पत्नी लक्ष्मण
34 प्रभाती पुत्री लक्ष्मण
35 कानाराम पुत्र लक्ष्मण
36 ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण
37 दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मण
38 भूराराम पुत्र लक्ष्मण
39 श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति जाट निवासीगण कुड़ियो का बास तन सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

40 भूराराम पुत्र सुवाराम
41 छोटी पत्नी आशाराम
42 सीताराम पुत्र आशाराम
43 नन्दकिशोर पुत्र भागीरथ
44 सुरेश पुत्र भागीरथ
45 सीता पुत्री भागीरथ
46 विमला पुत्री भागीरथ
47 तीजा देवी पत्नी सांवताराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

48 किरण देवी पुत्री सांवताराम
49 गीता देवी पुत्री सांवताराम
50 मीना देवी पुत्री सांवताराम
51 बजरंगलाल पुत्र सांवताराम
समस्त जाति रैगर निवासीगण सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
52 प्रबन्धक सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैकं लिमिटेड टोंक शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
53 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढा सुरेरा
54 प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ रेनवाल
55 उप पंजीयक अधिकारी उपपंजीयक कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
56 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
57 हणमान पुत्र भूराराम
58 सुभाष मोहनपुरिया पुत्र भूराराम
समस्त जाति रैगर निवासी सुरेरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ पीठासीन अधिकारी गोविन्द सिंह भींचर आरएएस प्रकरण संख्या 58/2020 दावा उनवानी छितरमल आदि गोरूराम आदि दिनांकित 18.09.2023

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुभाष चन्द्र कुल्हरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री सुशीला कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम कुड़िया का बास की भूमि खसरा नम्बर 547, 548, 551, 673 ग्राम सुरेरा की भूमि खसरा नम्बर 178, 282, 283, 291, 292, 180, 181 के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.11.2022 विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 18.09. 2023 को बाद सुनवाई विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांकित 06.04.2022 के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ़त्र को पक्षकारान को सूचित करके स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाना था। परन्तु जिस विभाजन प्रस्ताव को तैयार करके विचारण न्यायालय के समक्ष भिजवाया है उसे तैयार करने से पूर्व न तो अपीलान्टस को किसी तरह की सूचना दी गई तथा ना ही तहसील कार्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी कभी विवादित भूमियों के मौके पर पहुंचा। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.01.2022 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं उसकी मिलीभगत के अपीलाधीन वाद के प्रतिवादीगण द्वारा तहसील कार्यालय में बैठकर ही तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा विधि के प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुए अपीलाटस को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने निमित कोई अवसर प्रदान किये बिना अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 27.01.2023 आधार पर पारित की गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जिस विभाजन के आधार पर पारित की गई है वह विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बंटवारा संबंधी बनाये गये नियम 18 से 21 के सर्वथा प्रतिकूल है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 27.01.2023 प्रेषित किया गया है उसके अवलोकन से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस की अनुपस्थिति में तैयार किया हुआ है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष प्रेषित होने के पश्चात विचारण न्यायालय की यह जिम्मेदारी थी कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 27.01.2023 पर आपत्ति हेतु अपीलान्ट संख्या 1 को सूचित करता। अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 के अधिवक्ता हरदेवाराम सुण्डा द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किये जाने पर कि पक्षकार उनके संपर्क में नहीं है, विचारण न्यायालय की यह विधिक जिम्मेदारी थी कि वे अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को इस निमित सूचित करते कि आपके अधिवक्ता द्वारा आपकी ओर से पैरवी नहीं की जा रही है इसलिए आप स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों की अवहेलना करके पारित की गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 18.09.2023 निरस्त फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलान्ट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 22.08.2023, 09.09.2023 व 11.09.2023 को अपीलान्ट के पास विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में कुल 53 प्रतिवादीगण थे। इनमें से प्रतिवादी संख्या 10, 13, 15, 20 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलान्ट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 22.08.2023, 09.09.2023 व 11.09.2023 को अपीलान्ट के पास विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में कुल 53 प्रतिवादीगण थे। इनमें से प्रतिवादी संख्या 10, 13, 15, 20 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर